

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील 2191-एक / 16 जिला - जबलपुर

कमलसिंह बरकड़े उम्र 32 वर्ष

पिता श्री विसिंह बरकड़े (गौँड़)

निवासी घाट पिपरिया थाना बरगी

तहसील व जिला जबलपुर

----- अपीलार्थी

विरुद्ध

1- श्री सुनील कुमार दुबे पिता श्री भीकमलाल दुबे

निवासी 532 / 1 छोटा जैन मंदिर गढ़ा

जबलपुर

2- श्री सतीश कुमार पटेल

पिता स्व० श्री कोमल प्रसाद पटेल

निवासी 527 / 1 बड़ा जैन मंदिर के पास गढ़ा जबलपुर

3- श्री विष्णु कुशवाहा पिता श्री किशोरीलाल कुशवाहा

निवासी शॉप नं. 18, प्रथम तल राबरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,

कटंगा जबलपुर

4- मोप्र० शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- प्रति अपीलार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 32 मोप्र० भू-राजस्व संहिता, 1959

( श्रीमान द्वारा प्र०क० अपील 2191-एक / 16 में पारित आदेश दिनांक

04-7-16 की शर्त कमांक 3 में वृद्धि एवं प्रस्तावित केताओं के नाम में

परिवर्तन बाबत )

मान्यवर,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

- यहकि, इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण कमांक अपील 2191-एक / 16 में दिनांक 4-7-16 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को शर्तों के साथ भूमि विक्रय को अनुमति द्वारा दिया गया है।

कमल सिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, ग्रामपंचायत्र, ब्यालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 2191-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	मार्गवाही तथा आदेश	पश्चात्यार्थी एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-7-16	<p>यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-5-16 के विरुद्ध म0प्प0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वासन के विवृत अधिवक्ताकारों के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । प्रकरण दिनांक 30-5-16 को अद्भुत पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायाधित में यह पाता हूँ कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समका प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्राप्त हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रति-अपीलार्थी श्री सुनील कुमार दुबे तथा श्री सतीश कुमार पटेल को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की घाम चरणवां प.ह.नं. 38/37 (हर्दी) रा० नि�० मं० बरनी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि</p>	

A-1291-४/८ (नवम्य)

दस्तावेज तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पश्चाकारी एवं औशंभाषणको आदि के हस्ताक्षर
	<p>खसरा नं. 59/1, 59/2,60 एकबा कमशु: 1.08, 1.70, 0.850 हैक्टर तथा एक अन्य राजेश साहू को भूमि खसरा नं. 107/1 एवं 115 एकबा कमशु: 0.160 एवं 0.98 कुल एकबा 1.06 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त, तहसीलदार, बरगी को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा विविध जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपर्यंत अभि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपर्यंत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है। हस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक पर बैंक का ऋण बकाया है, जिसे चुकाने एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए पैसे की आवश्यकता होने के कारण तथा प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करना ब्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने पूर्व में कुछ भूमि राजेश साहू को विक्रय करने का अनुबंध किया गया था किंतु राजेश साहू अब भूमि कर्य नहीं कर रहे हैं हस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रति-अपीलार्थी क्रमांक 3 विष्णु कुशवाहा से राजेश साहू को विक्रय की जाने वाली भूमि का अनुबंध किया गया है।</p>	

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, गव्यप्रदेश, ब्लालियर**

**प्रकरण क्रमांक – अपील 2191-एक/16**

**जिला – जबलपुर**

सार्वतथा दिवांक	नार्यवाही तथा आदेश	पश्चकर्त्ता एवं अधिकारीको आदि के हस्ताक्षर
	<p>जिसमें दाजेश साहू द्वारा भी सहमति दी गई है। इसीलिए श्री लिष्णु कुशवाहा को प्रति-अपीलार्थी क्रमांक 3 बनाया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में इस व्यायालय द्वारा ही भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का अनुसोध किया गया है।</p> <p>3/ अपीलार्थी के विट्ठान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं एवं अतिरिक्त तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इष्टतहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इष्टतहार पर कोई आक्षेप नहीं आया। आवेदित भूमि द्यासकीय नहीं है, गाम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि काय कटना नहीं चाहते। भूमि विक्रय करने से अपीलार्थी के हितों पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। उक्त भूमि विक्रय के उपर्यंत उसके पास ग्राम चरणवां तहसील शहपुरा में 3.53 हेक्टर सिंचित भूमि शेष बचती है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः यह अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी को, प्रति-अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 श्री सुनील कुमार दुबे तथा श्री सतीश कुमार पटेल को अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम चरणवां प0ह0नं0 38/37 (हर्ड) रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि</p>	

12/1. 5/16 (स्ट्रॉक)

स्वाम तथा दिनांक	मर्यादाही तथा आदेश	पक्काएं एवं अभिभाषणों आदि के हस्ताक्षर
	<p>खसरा नं. 59/1, 59/2,60 रक्खा कमशः 1.08, 1.70, 0.850 हैक्टर एवं प्रति अपीलार्थी क्रमांक 3 श्री विष्णु कुशवाहा को याम चरणवां प0ह0नं0 38/37 (हर्दी) दा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर दिव्यत भूमि खसरा नं. 107/1 एवं 115 रक्खा कमशः 0.160 एवं 0.98 कुल रक्खा 1.06 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रक्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p> <p>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन हस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।</p> <p>अपील तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्काएं सूचित हों।</p> <p>R/ka</p> <p>(एमण्डो सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर</p>	

6

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**ग्राम्य मण्डल, मध्यप्रदेश, व्यालियट**

प्रकरण क्रमांक अप्रैल 2191-एक/16

जिला - जबलपुर

संचालन तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	प्राक्तनीय एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
4-11-16	<p>अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा धारा 32 माझ्या 0 मध्य-राजस्थान संहिता, 1959 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण लिया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी द्वासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री डी०के० शुक्ला को उक्त आवेदन पर सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस व्यायालय द्वारा इस अप्रैल प्र०क० 2191-एक-16 में पारित आदेश दिनांक 4-7-16 द्वारा अपीलार्थी को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन करने की शर्त रखी गई है। उनका कहना है कि प्रस्तावित केता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 सुनील कुमार दुबे एवं सतीश कुमार पटेल द्वारा भूमि कथ करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण अपीलार्थी अभी तक विक्रयपत्र का निष्पादन नहीं करा सका है और उक्त अवधि 3-11-16 को समाप्त हो गई है। उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित केताओं को विक्रय की जाने वाली भूमि खासरा नं: 59/1, 59/2 एवं 60 रक्खा कमशु: 1.08, 1.70 एवं 0.850 हेक्टर के उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति डॉ० पूजा के० अग्रवाल पत्नि डॉ० कमल आर० अग्रवाल तथा मोनिका ताम्रकार पत्नि आशीष ताम्रकार एवं आशीष ताम्रकार पिता ओमप्रकाश ताम्रकार को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने एवं 4 माह का समय विक्रयपत्र के पंजीयन करने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 सुनील कुमार दुबे एवं सतीश कुमार पटेल के शपथपत्र भी पेश किए गए हैं। द्वासकीय अधिवक्ता को उक्त आवेदन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। विचारोपरांत व्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए इस व्यायालय द्वारा इस प्र०क० 2191-एक-16 में पारित आदेश दिनांक 4-7-16 में संशोधन करते हुए अपीलार्थी को पूर्व में प्रस्तावित केता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 सुनील कुमार दुबे एवं सतीश कुमार पटेल के स्थान पर डॉ० पूजा के० अग्रवाल पत्नि डॉ० कमल आर० अग्रवाल तथा मोनिका ताम्रकार पत्नि आशीष ताम्रकार एवं आशीष ताम्रकार पुत्र श्री ओमप्रकाश ताम्रकार को विक्रय करने की अनुमति देते हुए विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 3 माह और बढ़ाया जाता है।</p>	<p style="text-align: right;">J 4-11-16 Bhushan (कृष्ण राजेश) 4-11-16</p> <p style="text-align: right;">Signature - सदस्य</p>